



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-316-औ०सं-17 / पाकालि / 2021-11(9)ए०एस० / 06

दिनांक 23 जनवरी, 2021

## कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों, जो कारपोरेशन के वेबसाइट [www.uppcl.org-Medical](http://www.uppcl.org-Medical) पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औ०-17 / पाकालि / 09, दिनांक 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के पत्रांक-13436-प्र०नि०/का०अ०/अ०अ०-1 दिनांक 01.10.2020 एवं पत्र सं०-14742-प्र०नि०/का०अ०/अ०अ०-1 दिनांक 31.10.2020 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये हरियाणा सरकार द्वारा **Under Section 13 of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958** नर्सिंग होम्स के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीकरण दिनांक 31.03.2020 तक वैध तदुपरान्त नवीनीकरण हेतु छूट प्राप्त दर्शाया गया है, के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०ए०ए०स०-२०१४ की मानक दरों पर सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, (A unit of Anshu Hospitals Ltd.) वाई०एम०सी०ए० रोड, सेक्टर-८, फरीदाबाद मो०न० +91 9999611707 को दिनांक 30.06.2021 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-ए०जी०-2 / ए०स०ई०बी०(चार) 29-ए०जी०-2 / 78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश संख्या-3330-औ०सं० / 18-11(28)ए०ए०स० / 2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08.8.2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा।

1. चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से खत: समाप्त हो जायेगी।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि “उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय”।
4. चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा एवं भर्ती होकर उपचार कराने वाले कार्मिकों का 24 घण्टे के अन्दर मेल आई०डी० uppclipdtreatment@gmail.com पर निम्नलिखित सूचना सहित मरीज का फोटो अपलोड करना होगा :-
  - (क) रोगी का नाम।
  - (ख) कार्मिक/पेन्शनर का नाम/पदनाम।
  - (ग) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
  - (घ) कार्मिक/पेन्शनर का मोबाइल नं०।
  - (ङ) कार्यालय/पेन्शन यूनिट का नाम।
  - (च) कार्मिक का आई०डी० कार्ड की प्रति।
5. अस्पताल प्रबन्धन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 की मानक दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।
6. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रु० 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

*Naf Mather*

क्रमांक: 2/-

7. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

#### निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-316 (1) / औसं-17 / पाकालि / 2021-तदिनांक :-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) / (वितरण) / (वित्त) / (वाणिज्य) / (कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको / निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्याँचल, लखनऊ / पूर्वांचल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणाँचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जॉच समिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
9. महाप्रबन्धक (औ0सं0) / उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) / समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अनु सचिव / मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा / वित्त / प्रशासन / कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. ✓ अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष स0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppcl.org/E-Book](http://www.uppcl.org/E-Book) पर अपलोड करने हेतु।
14. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. Inspector, shops and, Commercial Establishment, 30 Bays Bulding, 1<sup>st</sup> Floor, Sector 17-B, Chandigarh – 160 017
- स्पीड पोस्ट 16. डा0 पंकज मिश्रा, डिस्टी जनरल मैनेजर, सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, (A unit of Anshu Hospitals Ltd.) वाई0एम0सी0ए0 रोड, सेक्टर-8, फरीदाबाद।
17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. कट फाइल।

*Naf Matto*  
 (नवनीत माथुर)  
 वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी